



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102020-222331  
CG-DL-E-09102020-222331

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942

No. 511]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 625(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुध नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध (तृतीय संशोधन) नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आयुध नियम 2016 में,-  
(i) नियम 53, के उपनियम (1), में परंतुकों का लोप किया जाएगा।  
(ii) नियम 105, के उपनियम (1), की सारणी के स्तम्भ (2) (क) में "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात "या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. वी-11026/20/2020-आयुध]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 15 जुलाई, 2016 में सा.का.नि. संख्यांक 701(अ), तारीख 15 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और सा.का.नि. संख्यांक 108(E), तारीख 12 फरवरी, 2020 द्वारा उनमें अंतिम संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2020

**G.S.R. 625(E).**—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 2016, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Arms (Third Amendment) Rules, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Arms Rules, 2016, -
  - (i) in rule 53, the provisos to the sub-rule (1) shall be omitted;
  - (ii) in rule 105 (1), in sub-rule (1), in the Table, in column (2), against the entries at serial number (a), after the words “the State Government”, the words “or any officer authorised by the State Government” shall be inserted.

[F. No. V.-11026/20/2020-Arms]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

**Note :** The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15th July, 2016 *vide* number G.S.R. 701(E), dated the 15th July, 2016 and last amended *vide* number G.S.R. 108(E), dated the 12th February, 2020.